

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचास'

[18/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 1857]

विभाग क्षमा काशीरामिका एडमिनिस्ट्रेशन - 1857

बांध परियोजना निरस्त कर उसके स्थान पर नई लिफ्ट इरीगेशन परियोजना

परिशिष्ट-क

स.क्र	निरस्त की गई परियोजना का नाम	जिला	डूब क्षेत्र (हेक्ट. में)			प्रस्तावित सिंचाई (हेक्टेयर)	निरस्त करने एवं इसके स्थान पर नई उदवहन सिंचाई योजना का निर्माण किये जाने का कारण
			वन भूमि	गैर वन भूमि	योग		
1	चिंकी परियोजना	नरसिंहपुर	113	6882	6995	73979	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक डूब क्षेत्र होने, डूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण निरस्त की गयी । अत्यधिक डूब क्षेत्र के कारण इसे उदवहन सिंचाई परियोजना के रूप में निर्मित किया जा रहा है । इस परियोजना से 104134 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है ।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

अवर सचिव

(एस.के.बघेल)

RS

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल

सदस्य (अभियंत्रिकी)

(जे.एन. शिवहर)

MS

विभाग नगरपालिका प्रशासनिक - 1857

परिशिष्ट - 01

निरस्त की गई परियोजनाएँ

स.क्र	निरस्त की गई परियोजना का नाम	जिला	दूब क्षेत्र (हेक्ट. में)			प्रस्तावित सिंचाई (हेक्टेयर)	निरस्त करने का कारण
			वन भूमि	गैर वन भूमि	योग		
1	शेर परियोजना	नरसिंहपुर	442.86	1854.48	2297.34	486	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
2	मछरेवा परियोजना	नरसिंहपुर	580.61	83.64	664.25	4130	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
3	अपर बुढ़नेर परियोजना	मण्डला	497.00	1026.00	1523.00	9800	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
4	रोसरा परियोजना	डिण्डौरी	1233.00	1834.00	3067.00	0	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
5	बसानिया परियोजना	मण्डला	305.00	1479.00	1784.00	5600	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
6	राधवपुर परियोजना	डिण्डौरी	80.00	2655.00	2735.00	4000	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
7	अटारिया परियोजना	जबलपुर	10.79	961.00	971.79	1950	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण

अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग

नर्मदा घाटी विकास विभाग
सदस्य (अभियंत्रिकी)
मोपाल